

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

सितम्बर 29, 2004

[अरिजीत पसायत और सी.के. ठाकर, न्यायमूर्तिगण]

बिहार वित्त अधिनियम, 1981-धारा 3-स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, उपयोग या विक्रय हेतु माल के प्रवेश पर बिहार अधिनियम, 1993-धारा 3 — बिक्री कर-अधिरोपण की माँग — अधिसूचना द्वारा वित्त अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के दायित्व को उस सीमा तक छूट दी गई जहाँ तक प्रवेश कर अधिनियम के तहत कर का भुगतान किया गया था- राजस्व द्वारा इस आधार पर प्रवेश कर के समायोजन को अस्वीकार करते हुए कर की माँग की गई कि छूट के कारण कोई दायित्व नहीं था- उच्च न्यायालय ने माँग को सही ठहराया- अपील पर, अभिनिर्धारित: अधिसूचना के मद्देनजर प्रवेश कर अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कमी के लिए निर्धारिती हकदार था- वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था लेकिन छूट के कारण नहीं- कर का भुगतान करने का दायित्व और कर का वास्तविक भुगतान वैचारिक रूप से भिन्न हैं।

शब्द और वाक्यांश:

"छूट" , "उत्तरदायी" -अर्थ।

याचिकाकर्ता-कंपनी सीमेंट के निर्माण में संलग्न थी। उनके कारखाने/इकाइयाँ बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत पंजीकृत थे। बिहार राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति, 1995 के माध्यम से, राज्य में मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ को जो अपनी क्षमताओं का विस्तार करती थीं, बढ़ी हुई उत्पादन पर बिक्री कर छूट की पेशकश की। यह नीति दिनांक 22.12.1995 की अधिसूचना द्वारा प्रभावित हुई। राज्य ने याचिकाकर्ता को 1.4.1998 से

31.3.2007 तक बिक्री कर के भुगतान से सीमेंट के अतिरिक्त उत्पादन को संरक्षित करते हुए छूट प्रदान की। बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए माल के प्रवेश अधिनियम, 1993 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा राज्य के अन्य जिलों में अपने स्टॉक के हस्तांतरण के लिए भुगतान किया गया प्रवेश कर, औद्योगिक नीति और प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार सीमेंट की बिक्री पर कुल बिक्री कर देयता में समायोजित किया जाता था।

बिहार राज्य को बिहार और झारखंड राज्यों में विभाजित करने के बाद, याचिकाकर्ता की संबंधित इकाइयाँ झारखंड राज्य में आ गईं। राजस्व ने माँग सूचना पत्र जारी किए जिसमें कहा गया था कि छूट प्राप्त सीमेंट पर भुगतान किया गया प्रवेश कर अन्य सीमेंट अर्थात् गैर-बढ़ी हुई उत्पादन पर देय बिक्री कर के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है और छूट की अवधि के लिए कर की माँग की। याचिकाकर्ता ने माँग सूचना पत्र को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने माँग सूचना पत्र की वैधता को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।

इस न्यायालय में अपील में, उत्तरदाता-राज्य ने तर्क दिया कि जब दी गई छूट के कारण कोई दायित्व नहीं है, तो उन वस्तुओं के संबंध में कर के समायोजन का प्रश्न ही नहीं उठता जिन पर कर नहीं लगाया गया है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित : 1. यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि निर्धारित माल अर्थात् सीमेंट के कारोबार के एक हिस्से पर कर का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए निर्धारिती-अपीलकर्ता का बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत कोई दायित्व नहीं था। यह अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए निश्चित रूप से उत्तरदायी था, लेकिन छूट के लिए। निर्धारिती-अपीलकर्ता स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, उपयोग या विक्रय हेतु माल के प्रवेश पर बिहार अधिनियम, 1993 की धारा 3 (3) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी

था। इसलिए, वह अधिनियम के तहत देय कर को निकालते समय प्रवेश कर अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कमी के लिए हकदार था। उत्तरदाता द्वारा जारी किए गए सूचना कानूनी मंजूरी के बिना हैं और उन्हें अभिखंडित किया जाता है। [879- सी- डी- ई]

2. छूट का प्रश्न तभी उठता है जब कर का भुगतान करने का दायित्व हो। पहला अधिनियम द्वारा सृजित प्रभार पर निर्भर करता है और बाद वाला अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार गणना पर निर्भर करता है, यदि कोई हो। अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रभार्य कर का भुगतान करने का दायित्व निर्धारण पर देय कर की मात्रा से भिन्न है। कर का भुगतान करने का दायित्व और कर का वास्तविक भुगतान वैचारिक रूप से भिन्न हैं। छूट के अभाव में व्यापारी को धारा 3 के नियमों के अनुसार कर का भुगतान करना आवश्यक होगा। छूट एक दायित्व को पूर्व मानती है। जब तक दायित्व नहीं होता, छूट का प्रश्न नहीं उठता। दायित्व धारा 3 के नियमों के अनुसार उत्पन्न होता है और धारा 12 में दिए गए दर पर कर देय हो जाता है। धारा 11 अधिरोपण और दर और रियायती दर के बिंदु से संबंधित है। [878- ई- एफ- जी]

3. अधिसूचना के खंड (2) का एक सरल अध्ययन स्थिति को स्पष्ट करता है कि अधिनियम के तहत सीमेंट के आयातक का दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगा जहां ऐसा आयातक निर्धारित माल की बिक्री के आधार पर अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। [877- जी- एच; 878- ए- बी]

जुंगाराव भीकाजी नागरकर बनाम . भारत संघ और अन्य, [1997) 7 एससीसी 409 और ऑस्ट्रेलियन म्यूचुअल सोसाइटी बनाम आरसी, (1962) एसी 135 (पी.सी.), संदर्भित।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और ब्लैक लॉ डिक्शनरी छठा संस्करण, संदर्भित।

4. शाब्दिक रूप से "छूट" दायित्व, कर या शुल्क से स्वतंत्रता है। राजकोषीय रूप से यह बढ़ती अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से विभिन्न आकार ले सकती है। वास्तव में, एक छूट प्रावधान एक अपवाद की तरह है और अधिनियमों के निर्माण या व्याख्या के सामान्य सिद्धांत पर इसका सख्ती से निर्माण किया जाता है या तो विधायी इरादे के कारण या राज्य राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से राजकोषीय प्रावधानों के प्रगतिशील दृष्टिकोण के असमान बोझ के आर्थिक औचित्य पर। लेकिन एक बार जब अपवाद या छूट लागू हो जाती है, तो कोई नियम या सिद्धांत इसके सख्ती से निर्माण की मांग नहीं करता। सही मायने में छूट प्रावधान के उदार और सख्त निर्माण को इसकी व्याख्या के विभिन्न चरणों पर लागू किया जाना है। जब प्रश्न यह हो कि क्या कोई विषय अधिसूचना या छूट खंड में आता है, तो यह अपवाद की प्रकृति में होने के कारण इसका सख्ती से और विषय के विरुद्ध निर्माण किया जाना है, लेकिन एक बार जब लागू होने के बारे में अस्पष्टता या संदेह दूर हो जाता है और विषय अधिसूचना में आता है, तो इसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए और यह एक व्यापक और उदार निर्माण की मांग करता है। [877- ए- बी- सी- डी]

भारत संघ और अन्य बनाम वुड पेपर्स लिमिटेड और एक अन्य, [1990] 4 एससीसी 256 और मंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम उप आयुक्त वाणिज्य कर और अन्य, [1992] अनुपूरक एससीसी 21, संदर्भित।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2004 का दीवानी अपील सं. 1488।

पटना उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 7821 सन् 2002 में दिनांक 28.3.2003 के अभिनिर्धारित और आदेश से।

आर.एफ.नरिमन, आशीष ढोलकिया, यू.ए. राणा और अरविंद कुमार मेसर्स गगरात एवं कंपनी के लिए अपीलकर्ता के लिए ।

बी. बी. सिंह उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:

अरजीत पसायत, न्यायमूर्ति: इस अपील में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले की वैधता को चुनौती दी गई है।

अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, पटना विशेष सर्किल, पटना (उत्तरदाता सं. 3) द्वारा मूल्यांकन वर्षों 1998-99, 1999-2000 और 1.4.2000 से 14.11.2000 के लिए बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत कर लगाने के प्रस्ताव वाले दिनांक 30.5.2002 और 24.6.2002 को जारी किए गए सूचना की वैधता पर प्रश्न उठाया। सूचना इस कथित आधार पर जारी किए गए थे कि अपीलकर्ता स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, उपयोग या विक्रय हेतु माल के प्रवेश पर बिहार अधिनियम, 1993 (इसके बाद 'प्रवेश कर अधिनियम') के तहत भुगतान किए गए कर के समायोजन के लिए हकदार नहीं था। उच्च न्यायालय ने सूचना की वैधता और संबंधित उत्तरदाताओं द्वारा की गई कार्रवाई को सही ठहराया।

संक्षेप में तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है:

अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसकी दो विनिर्माण इकाइयाँ हैं - एक सिंदरी में और दूसरी झिंकपानी में। पूर्ववर्ती बिहार राज्य के विभाजन से पहले ये इकाइयाँ अधिनियम और साथ-साथ प्रवेश कर अधिनियम के तहत पंजीकृत थीं और समेकित पंजीकरण अधिनियम के तहत पटना विशेष सर्किल में किया गया था। 15 नवंबर, 2000 को, पूर्ववर्ती बिहार राज्य को दो राज्यों, अर्थात्, झारखंड राज्य और बिहार राज्य में विभाजित किया गया और अपीलकर्ता की उक्त दो विनिर्माण इकाइयाँ अब झारखंड राज्य में आ गई हैं।

वर्ष 1995 में, राज्य सरकार नई इकाइयों या मौजूदा इकाइयों को जो अपनी क्षमता का विस्तार कर रही थीं, बिक्री कर के भुगतान के संबंध में अतिरिक्त/बढ़े हुए उत्पादन पर प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक नीति लेकर आई। उपरोक्त नीति के नियमों के अनुसार, अपीलकर्ता का दावा है कि उसने सिंदरी में इकाई में अतिरिक्त/बढ़ी हुई सीमेंट उत्पादन के

लिए पैसा निवेश किया और उपरोक्त अतिरिक्त/बढ़ी हुई उत्पादन के संबंध में उपरोक्त औद्योगिक नीति के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1.4.1998 से 31.3.2007 की अवधि के लिए छूट दी गई। अपीलकर्ता ने उपरोक्त औद्योगिक नीति के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी छूट का दावा किया था जिसे राज्य ने अस्वीकार कर दिया और फिर उसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और उसे खारिज कर दिया गया और मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

अपीलकर्ता के अनुसार वह अधिनियम के तहत देय कर की गणना करते समय प्रवेश कर अधिनियम के तहत भुगतान किए गए प्रवेश कर को समायोजित करने के लिए हकदार था। अपीलकर्ता ने रिट याचिका (सी. डब्लू. जे. सी. सं. 7821 सन् 2002) दायर करके जारी किए गए सूचना की शुद्धता पर प्रश्न उठाया। दिनांक 28.3.2003 के आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस प्रकार के समायोजन की कोई गुंजाइश नहीं थी।

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों अर्थात् प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (1) और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई छूट अधिसूचना सं. एस.ओ. 37 दिनांक 25 फरवरी, 1993 का संदर्भ दिया गया। यह माना गया कि अधिनियम के खंड 2(x) के तहत परिभाषित "कर" में अतिरिक्त कर शामिल है। जारी की गई छूट अधिसूचना का खंड 2 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि यदि अधिनियम के तहत दायित्व था, तो प्रवेश कर के संबंध में जारी अध्यादेश के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक उसे कम किया जाएगा। यह आगे माना गया कि चूंकि अधिनियम के खंड 2 में निर्धारित अतिरिक्त कर भी कर का एक हिस्सा है, इसलिए अपीलकर्ता अधिसूचना के तहत लाभ के लिए हकदार है और अतिरिक्त कर के भुगतान के लिए उसका दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के तहत कर के भुगतान के विरुद्ध समायोजित किया जाना है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय अधिनियम और प्रवेश कर अधिनियम में उपयोग की गई स्पष्ट भाषा को ध्यान देने में विफल रहा। प्रत्येक माल के संबंध में जो कर को झेल चुका है और जो कर के भुगतान से छूट प्राप्त थे, के संबंध में शुरू किए जाने की मांग की गई द्विशाखन कानूनी रूप से अनुमेय नहीं है। उत्तरदाताओं के अनुसार यह कारोबार का केवल वह हिस्सा है जिसने कर को झेल है और यह ऐसे कारोबार के संबंध में लगाया गया कर है जो छूट अधिसूचना के नियमों के अनुसार समायोजित होने के लिए उपलब्ध है और अन्यथा नहीं। इसे प्रासंगिक प्रावधान का त्रुटिपूर्ण पठन बताया गया।

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि छूट अधिसूचना का सख्ती से निर्माण किया जाना है। आशय से कोई छूट नहीं हो सकती। जब प्रदान की गई छूट के कारण कर का कोई दायित्व नहीं होता है, तो उन माल के संबंध में कर के किसी भी समायोजन का प्रश्न नहीं उठता है जिसने कर को झेला नहीं है।

प्रवेश कर अधिनियम और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उपयुक्त होगा। प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2 (ग) इस प्रकार पढ़ी जाती है:

"2(ग): "माल का प्रवेश" अपने सभी व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ का अर्थ है उपभोग, उपयोग या विक्रय हेतु उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से या राज्य के बाहर के किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश।

[परंतु ऐसे माल के मामले में जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 (1) के तहत कर के लिए उत्तरदायी हैं, माल का प्रवेश उपभोग, उपयोग या विक्रय हेतु राज्य के बाहर के किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश होगा।]"

प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य धारा है। वही इस प्रकार पढ़ी जाती है:

"3. कर का प्रभार- (1) उपभोग, उपयोग या विक्रय हेतु एक स्थानीय क्षेत्र में निर्धारित माल के प्रवेश पर ऐसे दर पर कर लगाया और संग्रहीत किया जाएगा जो ऐसे माल के आयात मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा एक आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है जो ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो निर्धारित की जा सकती हैं।

परंतु विभिन्न निर्धारित माल और विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(2) इस अधिनियम के तहत देय कर का भुगतान बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यापारी या कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे निर्धारित माल को या तो अपने खाते पर या अपने प्रिंसिपल के खाते पर स्थानीय क्षेत्रों में लाता है या लाने का कारण बनता है या ऐसे प्रवेश पर ऐसे माल की सुपुर्दगी लेता है या सुपुर्दगी लेने का हकदार है, द्वारा किया जाएगा:

परंतु व्यापारी के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे निर्धारित माल के प्रवेश के संबंध में कोई कर नहीं लगाया जाएगा यदि, ऐसे माल का मूल्य एक वर्ष में 25 हजार से अधिक नहीं होता है।

परंतु यह भी कि जहां निर्धारित माल का एक आयातक जो अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे निर्धारित माल की बिक्री के आधार पर बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम, 5 सन् 1981) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत कर का भुगतान करने का उसका दायित्व अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगा।

(3) निर्धारित माल पर कर का भुगतान करने का दायित्व केवल एक स्थानीय क्षेत्र में पहले प्रवेश के बिंदु पर होगा और उक्त निर्धारित माल का किसी अन्य

स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों में कोई बाद का प्रवेश या प्रवेश कर के अधीन नहीं होगा बशर्ते कि बाद का आयातक व्यापारी उस व्यापारी से जिसे उसने उक्त निर्धारित माल खरीदा या प्राप्त किया है, जारी किए गए नकद मेमो, बीजक, बिल या चालान की मूल प्रति निर्धारित अधिकारी के सामने पेश करता है, और निर्धारित प्रारूप और तरीके से एक सच्ची और पूरी घोषणा दायर करता है।"

अधिनियम की धारा 2 (घ) "व्यापारी" को परिभाषित करती है। धारा 3 (ज) "माल" को परिभाषित करती है और धारा 3 (ञ) "सकल कारोबार" को परिभाषित करती है। अधिनियम की धारा 3 प्रभार्य धारा है जो इस प्रकार पढ़ी जाती है:

"3. कर का प्रभार- (1) इस भाग के प्रावधानों के अधीन, बिक्री कर या क्रय कर, जैसा भी मामला हो, का भुगतान प्रत्येक व्यापारी द्वारा किया जाएगा-

(क) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रारंभ की तारीख से प्रभावी, यदि उसका

सकल कारोबार उक्त तारीख से ठीक पहले बारह महीनों से अधिक नहीं की अवधि के दौरान निर्दिष्ट मात्रा से अधिक हो गया था;

(ख) जिसे खंड (क) लागू नहीं होता है, उस तारीख से ठीक बाद की तारीख से प्रभावी होगा जिस पर उसका सकल कारोबार ऐसी तारीख से ठीक पहले बारह महीनों से अधिक नहीं की अवधि के दौरान पहली बार निर्दिष्ट मात्रा से अधिक हो गया था।

स्पष्टीकरण- इस धारा में, अभिव्यक्ति, 'निर्दिष्ट मात्रा' का अर्थ है-

(i) एक आयातक के संबंध में, शून्य;

(ii) किसी भी व्यापारी के संबंध में, जो स्वयं कोई माल विनिर्माण करता है, शून्य;

(iii) किसी भी व्यापारी के संबंध में जो कार्य ठेके के निष्पादन में संलग्न है-जहाँ एक वर्ष में साथ-साथ लिए गए कार्य ठेकों का कुल मूल्य पच्चीस हजार रुपये से अधिक हो जाता है;

(iv) किसी भी व्यापारी के संबंध में जो किसी भी उद्देश्य के लिए किसी माल का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप माल की सुपुर्दगी या आपूर्ति में संलग्न है, शून्य;

(v) किसी अन्य व्यापारी के संबंध में, 1,00,000 रुपये।

परंतु राज्य सरकार, एक आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा और एक महीने के पिछले सूचना की शर्त के अधीन, निर्दिष्ट मात्रा की राशि को बढ़ा या कम कर सकती है।

(2) ऐसा कर एक व्यापारी को जिसके लिए उप-धारा (1) का खंड (क) लागू होता है, बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रारंभ की तारीख से और उसके बाद बिहार के अंदर की गई बिक्री और खरीद पर और एक व्यापारी द्वारा जिसके लिए उक्त उप-धारा का खंड (ख) लागू होता है, उक्त खंड (ख) में उल्लिखित दिन के ठीक बाद की तारीख को या उसके बाद की गई ऐसी बिक्री और खरीद पर देय होगा।

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) अन्य उप-धाराओं में शामिल किसी भी बात के बावजूद, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (LXXIV सन् 1956) के तहत पंजीकृत एक व्यापारी अपने

सकल कारोबार की मात्रा के बावजूद, बिहार के अंदर की गई अपनी किसी भी माल की बिक्री पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसे उसने उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के तहत एक घोषणा प्रस्तुत करने के बाद खरीदा है या किसी भी माल के विनिर्माण या अधिकार में जिसमें उसके द्वारा खरीदे गए माल का उपयोग किया गया है:

परंतु बिक्री कर देय नहीं होगा यदि व्यापारी निर्धारित प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए यह दिखाता है कि कर योग्य कारोबार निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए बिक्री धारा 21 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के तहत उसके सकल कारोबार से कटौती योग्य है।

(9)

(10) प्रत्येक वर्ष के लिए कर, आयुक्त की पूर्व अनुमति से, एक वर्ष के दौरान ऐसी किशतों में अनुमानित और संग्रहीत किया जा सकता है जो निर्धारित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्राधिकरण व्यापारी को उस वर्ष के लिए उसके कर योग्य कारोबार का एक अग्रिम अनुमान प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और वर्ष के संबंध में व्यापारी द्वारा देय कर की राशि को अस्थायी रूप से निर्धारित कर सकता है। तत्पश्चात व्यापारी ऐसी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तारीख तक निर्धारित राशि का भुगतान करेगा।"

धारा 6 अतिरिक्त कर के प्रभार से संबंधित है और धारा 7 छूट से संबंधित है। धारा 7 वर्तमान विवाद के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"7. छूट— (1) इस भाग के तहत उन माल की बिक्री या खरीद पर कोई कर देय नहीं होगा जो हुई है-

(क) अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान;

(ख) राज्य के बाहर;

(ग) माल के भारत के राज्यक्षेत्र में आयात, या बाहर निर्यात के दौरान।

(2) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (LXXIV सन् 1956) के प्रावधान यह निर्धारित करने के लिए लागू होंगे कि माल की बिक्री या खरीद उप-धारा (1) के खंड (क), (ख) या (ग) में उल्लिखित किसी भी तरीके से हुई मानी जाएगी।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन जो वह लगा सकती है, बिक्री कर या क्रय कर से छूट दे सकती है-

(क) किसी भी माल या माल के वर्ग या विवरण की बिक्री;

(ख) किसी भी वर्ग के व्यापारियों को या उनके द्वारा किसी भी माल या माल के वर्ग या विवरण की बिक्री;

(ग) किसी भी वर्ग के व्यापारियों द्वारा किसी भी माल की खरीद या ऐसी माल की किसी भी खरीद या श्रेणी या विवरण।

(4) जहां किसी व्यापारी द्वारा इस धारा या धारा 21 के प्रावधानों के तहत माल की किसी भी बिक्री या खरीद पर इस भाग के तहत कर के अधिरोपण से छूट का दावा किया जाता है, तो सबूत का बोझ ऐसे व्यापारी पर होगा और निर्धारित प्राधिकरण व्यापारी को निर्धारित तरीके से दावे को सिद्ध करने के लिए आवश्यकता कर सकता है।"

शाब्दिक रूप से "छूट" दायित्व, कर या शुल्क से स्वतंत्रता है। राजकोषीय रूप से यह बढ़ती अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से विभिन्न आकार ले सकती है। वास्तव में, एक छूट प्रावधान एक अपवाद की तरह है और अधिनियमों के निर्माण या व्याख्या के सामान्य सिद्धांत पर इसका सख्ती से निर्माण किया जाता है या तो विधायी इरादे के कारण या राज्य

राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से राजकोषीय प्रावधानों के प्रगतिशील दृष्टिकोण के असमान बोझ के आर्थिक औचित्य पर। लेकिन एक बार जब अपवाद या छूट लागू हो जाती है, तो कोई नियम या सिद्धांत इसके सख्ती से निर्माण की मांग नहीं करता। सही मायने में छूट प्रावधान के उदार और सख्त निर्माण को इसकी व्याख्या के विभिन्न चरणों पर लागू किया जाना है। जब प्रश्न यह हो कि क्या कोई विषय अधिसूचना या छूट खंड में आता है, तो यह अपवाद की प्रकृति में होने के कारण इसका सख्ती से और विषय के विरुद्ध निर्माण किया जाना है, लेकिन एक बार जब लागू होने के बारे में अस्पष्टता या संदेह दूर हो जाता है और विषय अधिसूचना में आता है, तो इसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए और यह एक व्यापक और उदार निर्माण की मांग करता है। (यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य बनाम वुड पेपर्स लिमिटेड और एक अन्य [1990] 4 एस.सी.सी. 256), मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर के उप आयुक्त और अन्य [1992] सप्ल. 1 एस.सी.सी. 21) जिसका संदर्भ पहले दिया गया है।

अधिसूचना सं. 37 दिनांक 25 फरवरी, 1993 भी प्रासंगिक है, अधिक विशेष रूप से, इसका खंड (2)। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि खंड (1) के नियमों के अनुसार सीमेंट निर्धारित माल में से एक है। खंड (2) इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"जहां भारत में बनी विदेशी शराब, सब्जी और हाइड्रोजनीकृत तेल या सीमेंट का एक आयातक अध्यादेश की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, वह ऐसे निर्धारित माल की बिक्री के आधार पर बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत उसका दायित्व अध्यादेश के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगा।"

यह ध्यान दिया जाना है कि इसमें अध्यादेश अर्थात् बिहार अध्यादेश सं. 1/93 का संदर्भ दिया गया है। वही अधिनियमित किया गया है। अधिसूचना प्रवेश कर अधिनियम की

धारा 3 की उप-धारा (1) और अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के परंतु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी की गई है।

अधिसूचना के खंड (2) का एक सरल अध्ययन स्थिति को स्पष्ट करता है कि अधिनियम के तहत सीमेंट के आयातक का दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगा जहां ऐसा आयातक निर्धारित माल की बिक्री के आधार पर अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

उत्तरदाताओं का कहना है कि है कि चूंकि राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एस.ओ. सं. 479 दिनांक 22.12.1995 के कारण बिक्री के हिस्से के संबंध में कोई दायित्व नहीं था क्योंकि यह औद्योगिक नीति 1995 का हिस्सा है जो विस्तारित औद्योगिक इकाई के उत्पादन पर बिक्री कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है जो अपनी क्षमता का विस्तार करती है, इसलिए समायोजन का कोई प्रश्न नहीं उठता। दूसरे शब्दों में उत्तरदाता का रुख यह है कि जब ऐसी बिक्री पर कोई कर दायित्व नहीं था, तो किसी भी कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था और, इसलिए, अधिसूचना सं. एस.ओ. सं. 37 दिनांक 25.2.1993 के खंड (2) के तहत उपलब्ध समायोजन का लाभ उत्पन्न नहीं होता। उत्तरदाताओं द्वारा पेश की गई व्याख्या को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।

इसलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता का अधिनियम के तहत कोई "दायित्व" था। इसका उत्तर अधिनियम की धारा 3 में है जो ऊपर उद्धृत है और जो प्रभार्य धारा है। उप-धारा (1) में भाग (अर्थात् भाग 1) के प्रावधान के अधीन, बिक्री कर या क्रय कर, जैसा भी मामला हो, का भुगतान प्रत्येक व्यापारी द्वारा धारा में ही दिए गए अनुसार किया जाएगा। धारा 7 छूट की बात करती है। धारा 7 की उप-धारा (3) निर्धारित करती है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन जो वह लगा सकती है, बिक्री कर या क्रय कर से कुछ बिक्री या खरीद, जैसा भी मामला हो, को छूट दे सकती है। छूट का प्रश्न तभी उठता है जब कोई दायित्व हो। कर देयता का होना कर का

भुगतान करने के दायित्व के समान नहीं है। पहला अधिनियम द्वारा सृजित प्रभार पर निर्भर करता है और बाद वाला अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार गणना पर निर्भर करता है, यदि कोई हो। यह ध्यान दिया जाना है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रभार्य कर का भुगतान करने का दायित्व निर्धारण पर देय कर की मात्रा से भिन्न है। कर का भुगतान करने का दायित्व और कर का वास्तविक भुगतान वैचारिक रूप से भिन्न हैं। छूट के अभाव में व्यापारी को धारा 3 के नियमों के अनुसार कर का भुगतान करना आवश्यक होगा। दूसरे शब्दों में, छूट का अर्थ दायित्व की पूर्वधारणा है। जब तक दायित्व नहीं होता, छूट का प्रश्न नहीं उठता। दायित्व धारा 3 के नियमों के अनुसार उत्पन्न होता है और धारा 12 में दिए गए दर पर कर देय हो जाता है। धारा 11 अधिरोपण और दर और रियायती दर के बिंदु से संबंधित है।

'उत्तरदायी' शब्द का संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अर्थ है "कानूनी रूप से बाध्य, कर या दंड के अधीन, एक दायित्व के तहत"। ब्लैक लॉ डिक्शनरी (छठा संस्करण) में 'उत्तरदायी' शब्द का अर्थ है "कानून या इक्विटी में बाध्य या बाध्यकारी; जिम्मेदार, प्रभार्य, जवाबदेह, संतुष्टि, मुआवजा, या बहाली करने के लिए मजबूर किया जा सकता है बाध्यकारी, जवाबदेह या प्रभार्य"। उपरोक्त स्थिति को *जुंगाराव भिकाजी नागार्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य* [1997] 7 एस. सी. सी. 409 में नोट किया गया था।

छूट के अभाव में उपयुक्त दर पर कर देय हो गया होता। *ऑस्ट्रेलियन म्युचुअल सोसाइटी बनाम आई. आर. सी.* [1962] ए. सी. 135 पी.सी., में स्थिति इस प्रकार बताई गई है:

"वाक्यांश "कराधान से छूट" (भूमि और आयकर अधिनियम, 1954 (सं. 6701) (न्यूजीलैंड) धारा 86 (1)) उस आय को कवर नहीं करता है जो न्यूजीलैंड कर कानूनों की पहुंच में बिल्कुल नहीं है। यह उस आय को संदर्भित करता है जो, अगर छूट नहीं होती, तो अन्यथा इस प्रकार कर योग्य होती।"

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि निर्धारित माल अर्थात् सीमेंट के कारोबार के एक हिस्से पर कर का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए निर्धारिती-अपीलकर्ता का अधिनियम के तहत कोई दायित्व नहीं था। यह निश्चित रूप से अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन छूट के कारण नहीं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि निर्धारिती-अपीलकर्ता प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसलिए, प्रवेश कर अधिनियम के तहत देय कर की गणना करते समय, इसे प्रवेश कर अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक छूट प्राप्त करने का अधिकार था।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए उत्तरदाता द्वारा जारी किए गए सूचना कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं और इन्हें अभिखंडित किया जाता है। उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है।

अपील स्वीकार की जाती है और लागत संबंधी कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

के. के. टी.

अपील की अनुमति।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।